राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर – 174/2020

रविन्द्र कुमार पुत्र देशराज जाति गुर्जर निवासी आनन्दपुरी मोहल्ला वार्ड नं. 9 गोठड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.... वादी

ब–ना–म

1. इन्द्राज पुत्र रामेश्वर
2. केला पुत्री रामेश्वर
3. गिरधारी पुत्र रामेश्वर
4. जगदीश प्रसाद पुत्र मालाराम
5. बिमला पुत्री रामेश्वर
6. मेवा पुत्री रामेश्वर
7. महावीर पुत्र रामेश्वर
8. सन्तरा पुत्री रामेश्वर
9. सन्तोष पुत्री रामेश्वर जाति कुम्हार निवासी खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
10. उप पंजीयक, खेतड़ी।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

..........प्रतिवादीगण

दावा– खाता विभाजन

निर्णय **दिनांक 16–12–2021**

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 02–09–2021 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि वाके ग्राम लगरियावाला स्थित भूमि खाता संख्या 13 खसरा नंबर 1253/496, 939/494, 942/513 कुल किता 3 कुल रकबा 2.30 है. में वादी का 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 9 का उक्त वादग्रस्त भूमि में दर्ज हिस्से अनुसार खाता विभाजन कर लगान अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हि[illegible]के पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) [illegible] एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को मद्[illegible] रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी की [illegible] तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांकः भू.अ./2021/2431 दिनांक 17.09.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.18 11:15:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 17–09–2021 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 17–09–2021 (प्रदर्श–'अ–1 लगा. 3' व 'ब') का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 17–09–2021 (प्रदर्श–'अ–1 लगा. 3' व 'ब') के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 17–09–2021 (प्रदर्श–'अ–1 लगा. 3' व 'ब') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 17–09–2021 (प्रदर्श–'अ–1 लगा. 3' व 'ब') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श–'ब' के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16–12–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुंझुनू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.18 11:15:22 IST
Reason: SelfAttested